# बच्चों के साथ बातचीत

**रोहित धनकर**

**अनुवादः रविकांत**

पिछले 8 सालों से ग्रामीण भारत के सरकारी स्कूलों के साथ मेरा संपर्क टूट सा गया था। मुझे यह महसूस होना शुरू हो गया था कि मेरे कदम ठोस जमीन पर नहीं टिके हैं और जमीनी शैक्षिक क्रियाकलापों के बारे में मेरी समझ अगर धुंधली नहीं हुई, तो भी काफी पुरानी पड़ चुकी है। (मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि ''जमीनी या असली शैक्षिक क्रियाकलाप'' स्कूलों की कक्षाओं में ही होते हैं, अब मैं इस बात को किसी दूसरे लेख में समझाने के लिए छोड़ देता हूं)। इसलिए कल मैं दो सरकारी स्कूलों में गया। उनमें से एक विकासखंड मुख्यालय पर बना उच्च माध्यमिक विद्यालय और दूसरा एक शहर से काफी दूर बसे गांव में बना उच्च प्राथमिक विद्यालय था।

दोनों ही स्कूलों के कैंपस काफी खूबसूरत तो थे ही, उनमें जगह भी काफी थी। उनमें से उच्च प्राथमिक विद्यालय तो काफी हैरतअंगेज तरीके से खूबसूरत, हरा-भरा, बेहद शांत व सुव्यवस्थित था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी निजी स्कूल उसके मुकाबले में कहीं ठहर भी पाएगा।

उच्च माध्यमिक विद्यालय में 48 कक्षाएं थीं व उसमें करीब 1700 बच्चे थे। उसकी इमारत का रख-रखाव अच्छा था। सभी कक्षाएं चल रही थीं, अध्यापक मौजूद थे। हालांकि कई कक्षाओं में बच्चों की संख्या 100 से भी ज्यादा थी। दो-तीन कक्षाओं में तो बच्चे दरवाजे के बाहर तक बैठे थे, कक्षा में कही जा रही बात को ध्यान से सुन कर नोट्स ले रहे थे। प्राचार्य ने बताया कि उनके पास हरेक बच्चे के लिए पर्याप्त फर्नीचर था, लेकिन वे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि फिर कक्षा में सिर्फ 50 बच्चे ही बैठ पाएंगे। इसलिए वहां पर बच्चे दरी पर बैठते थे और अध्यापक एक छोटी मेज व कुर्सी पर बैठते थे। विज्ञान की प्रयोगशाला भी पर्याप्त थी।

सभा में प्राचार्य बच्चों के साथ हरेक सप्ताह बातचीत करते हैं। ऐसा लगा कि वे उसमें नैतिक विकास पर जोर देने के साथ-साथ दूसरे सभी भारतीयों के साथ मिल जुल कर रहने तथा अपने अहंकार से मुक्ति पाने की बात पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं।

यह एक विकासखंड के मुख्यालय वाला कस्बा था और पुराने गांव में मुस्लिम आबादी की बहुतायत थी। अब पुराने गांव के आस-पास कुछ नई कॉलोनियां बसने के बाद आबादी में मुस्लिम करीब 35-40 प्रतिशत और हिंदू करीब 65-70 प्रतिशत हो गए थे। यह कस्बा 1992 (बाबरी मस्जिद के मसले के वक्त) तथा 2005 के बीच तीन धार्मिक सांप्रदायिक दंगों का सामना कर चुका था। इसी इलाके में काम करने वाले एक दोस्त के मुताबिक, सतह पर नजर आती शांति के बावजूद, दोनों समुदाय एक दूसरे के प्रति संदेह से भरे रहते है।

प्राचार्य ने बताया कि पहले स्कूल में हिंदू मुस्लिम बच्चों के बीच झगड़ा फसाद होता रहता था, जो शुक्र है कि अब नहीं होता। लेकिन अब इस स्कूल की कुल बच्चों की संख्या 1700 में से करीब 150-200 बच्चे ही मुस्लिम हैं, जबकि कस्बे में मुस्लिम आबादी करीब 35-40 प्रतिशत है। ऐसा लगता है कि इस कस्बे के मुस्लिम शैक्षिक तौर पर काफी सजग हैं, बहुत से बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, सरकारी नौकरी में उनका प्रतिशत अच्छा खासा है और पारंपरिक तौर पर उनके पास बड़ी जमीनें हैं। तो इस बेहतरीन तरीके से चलने वाले स्कूल में मुस्लिम बच्चों का प्रतिशत इतना कम क्यों है? प्राचार्य का सोचना है कि हाल ही में मुस्लिम समुदाय ने अपना खुद का माध्यमिक विद्यालय खोल लिया है और सरकार ने भी एक दूसरा उर्दू माध्यम का एक माध्यमिक स्कूल खोल दिया है। किसी को भी हैरानी हो सकती है कि इन दो चीजों की जरूरत ही क्या थी?

प्राचार्य बच्चों के साथ की जाने वाली चर्चाओं में दोनों धर्मों के साहित्य में से प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं। हालांकि स्कूल में सरस्वती की बड़ी मूर्ति है और उनके कार्यालय में सरस्वती की दो बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं। इस्लाम की झलक देती हुई कोई चीज न तो स्कूल में और न ही कार्यालय में नजर आई, या कम से कम मुझे तो नहीं ही दिखी।

प्राचार्य ने दो प्रेरणादायक कहानियां सुनाई, जिसमें उन्होंने बच्चों को अपने अहंकार, गुरूर से मुक्ति पाने का उपदेश दिया। एक मुस्लिम संत तथा उसके शागिर्द के बारे में थी। उसमें मुस्लिम संत यह दलील देते हैं कि अहंकारी लोगों पर गुस्सा करने के बजाय उन पर दया करनी चाहिए क्योंकि उनकी रूह बीमार होती है। दूसरी कहानी में वशिष्ठ, विश्वमित्र को ब्रह्म ऋषि का खिताब तब देते हैं जब वे झुकना सीख जाते हैं। गुरू पूर्णिमा (27 जुलाई 2018 को) पर कहानियां सुनाकर उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या वे किसी बड़े भारतीय नेता का नाम बता सकते हैं जिसने अपना अहंकार छोड़ दिया था, यानी झुकना सीख लिया था बच्चों ने दो उदाहरण दिए, एक अब्दुल कलाम और दूसरा नरेंद्र मोदी। मोदी ने संसद भवन में पहली बार दाखिल होते वक्त उसकी सीढ़ियों पर अपना माथा टेका था। प्राचार्य का विचार था कि हाल ही में राहुल गांधी ने भी इसका उदाहरण पेश किया था, जब उन्होंने मोदी को संसद में गले लगाया था।

प्राचार्य ने मुझे 12वीं कक्षा में राजनीति विज्ञान, इतिहास तथा भूगोल पढ़ने वाले बच्चों के साथ बातचीत करने की इजाजत दे दी। बातचीत पूरी हिंदी में थी। मैं उसे अपनी याददाश्त की मदद से दर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं।

प्राचार्य मुझे एक कक्षा में ले गए। वहां पर एक अध्यापक थे। प्राचार्य ने बच्चों को मेरा परिचय दिया (लेकिन अध्यापक से कुछ नहीं कहा)। उन्होंने कहा कि, "आप बाहर से आए हैं, आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है?" बच्चे खड़े हो कर कुछ बुदबुदाए जिसका मतलब शायद "ठीक है" जैसा ही कुछ था। इसके बाद प्राचार्य व अध्यापक दोनों ही कक्षा से बाहर चले गए। मैंने बच्चों से बैठने के लिए कहा। वह 25 गुना 20 वर्गफुट का कमरा था जिसमें करीब 60 बच्चे बैठे थे, उनमें करीब 20 लड़कियां और 40 लड़के थे। लड़कियां एक साथ बैठी थीं।

मैं : *मेरा नाम रोहित है। मैं पहली से बारहवीं तक के बच्चों को पढ़ाता रहा हूं। आजकल विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। आप लोग बारहवीं में पढ़ते हैं?*

कुछ बच्चे: *हां।*

मैं : *आप में से कुछ तो बारहवीं के लिए बहुत छोटे लग रहे हैं। हमारे जमाने में बारहवीं में कुछ बड़े बच्चे होते थे। आप लोग कुछ जल्दी तो नहीं आ गए इस कक्षा में?*

कई बच्चे : *नहीं।* (अपनी बात पर जोर देकर मुस्कराते हुए)

मैं : *तुम में से कुछ को बारहवीं में जल्दी आने से कोई परेशानी तो नहीं हुई?*

कई बच्चे : *नहीं।* (एक बार फिर मुस्कान के साथ व अपनी बात पर जोर देते हुए)

मैं : *अच्छा, क्या-क्या पढ़ते हो, स्कूल में?*

कई बच्चे : *राजनीति, इतिहास, भूगाल, हिंदी, अंग्रेजी।*

मैं : *राजनीति? राजनीति में क्या?*

बच्चे : *राजनीति (एक आवाज : राजनीति शास्त्र)*

मैं : *अच्छा, पॉलिटिकल साइंस?*

बच्चे : *हां।*

मैं : *ठीक है। बताओ, तुममें से किसी ने कोई किताब पढ़ी है, पिछले दो साल में, जो तुम्हारें कोर्स में नहीं हो।* (मुझे इस बात को दोहराना पड़ा)

(आगे की पंक्ति में से सिर्फ एक लड़के ने अपना हाथ खड़ा किया।)

मैं : *किताब का नाम बता सकते हो?*

(बच्चा खड़ा हो गया)

मैं : *बैठे-बैठे ही बता सकते हो।*

बच्चा : (बैठ कर) *प्रेरणादायक चर्चाएं।*

मैं : *ओह, किसने लिखी है?*

बच्चा : *स्वामी विवेकानंद।*

(मैंने यह किताब नहीं पढ़ी थी और इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। बाद में इंटरनेट पर खोजने पर मुझे विवेकानंद की चर्चाओं की एक किताब मिली, जिसका नाम ''इंस्पायर्ड टॉक'' था। हो सकता है कि मैंने बच्चे द्वारा कही गई बात को गलत सुन लिया हो या फिर उसे गलत नाम याद रह गया हो।)

मैं : (कक्षा से) *अच्छा प्रेरणादायक माने क्या? प्रेरणा क्या होती है?*

कुछ बच्चे : (कुछ शब्द आए) *अभिप्रेरणा, उत्साहित करना, प्रेरणा*

मैं : *अच्छा, ठीक है, उत्साहित करना और प्रेरणा मान लेते हैं।*

मैं : (जिस बच्चे ने यह किताब पढ़ी थी, उससे पूछा) *ये किताब अंग्रेजी में है?*

बच्चा : *अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी।*

मैं : *तुमने कौनसी भाषा में पढ़ी?*

बच्चा : *दोनों में।*

मैं : (हैरत भरी आवाज में, लेकिन इस बात को बिना जाहिर किए कि मुझे उसकी बात में भरोसा नहीं हो रहा) *ओह, दोनों में? पहले कौनसी भाषा में पढ़ी?*

बच्चा : *हिंदी में।*

मैं : *अरे, हिंदी में पढ़ ली तो फिर अंग्रेजी में क्यों?*

बच्चा : *अच्छी लगी, इसलिए।*

मैं : *अच्छा तो उस किताब में क्या लिखा है? कुछ बता सकते हो?*

बच्चा : *अपनी संस्कृति और राष्ट्र-धर्म का सम्मान करना चाहिए।*

मैं : (मुझे वह मौका मिल गया, जिसकी मुझे तलाश थी। मैं ''संस्कृति'' और ''राष्ट्र-धर्म'' को साफ-साफ व बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखना चाहता था। मैंने वहां पर चॉक खोजी, वह मुझे नहीं मिली।) *अच्छा, चॉक तो है ही नहीं, मैं दो चीजें बोर्ड पर लिखना चाहता था।*

एक बच्चा : *मैं ऑफिस से ले आता हूं।*

मैं : *ठीक है, दो ही लाना।*

मैं : (सभी बच्चों से) *अच्छा ये राष्ट्र-धर्म क्या चीज होती है? जिसने किताब का नाम बताया, उसकी ही अकेले बताने की जिम्मेदारी नहीं है। कोई भी बता सकता है। राष्ट्र-धर्म क्या होता है?*

(जवाब आने शुरू हो गए... अब तक चॉक लेने गया बच्चा दो बढ़िया किस्म की चॉक लेकर आ गया। मैंने बोर्ड बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। चॉक और बोर्ड दोनों ही चीजें बेहतरीन थीं, इसलिए मैंने बोर्ड पर आसानी से व साफ साफ लिखा। मैंने बोर्ड पर ''राष्ट्र-धर्म'' लिखा, उसके नीचे लकीर खींची और एक बार फिर पूछा, ''ये राष्ट्र-धर्म क्या होता है?'')

बच्चे : (कई आवाजें)

- ☐ *राष्ट्र का सम्मान करना*
- ☐ *राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य पूरे करना*
- ☐ *राष्ट्र में समन्वय बनाना*
- ☐ *जरूरतमंदों की मदद करना*
- ☐ *राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र का सम्मान करना*
- ☐ *राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करना*
- ☐ *एकता की रक्षा करना*

मैं : *वाह, काफी हैं। अच्छा, यह और बताओ कि ये ''राष्ट्र'' क्या होता है।*

बच्चे : (सन्नाटा)

मैं : *राष्ट्र क्या होता है? जमीन, नदी-नाले? पहाड़?*

बच्चे : (कई) *हां, जमीन, देश।*

मैं : *ठीक है, मान लो हम सारे हिंदुस्तानियों को किसी तरह चांद पर ले जाएं। कुछ मुश्किल तो होगा, पर सब को ले जाएं, एक भी बाकी नहीं बचे। तो भी भारत देश यहीं रह जाएगा क्या?*

बच्चे : (कुछ आवाजें) *हां।* (बहुमत) *नहीं।*

मैं : *बढ़िया। तो राष्ट्र लोगों के बिना नहीं होता। लोग तो उसके जरूरी हिस्सा हैं ही।*

बच्चा : *राष्ट्र नागरिकों से बनता है।*

मैं : *ठीक। तो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का मतलब उसके नागरिकों के प्रति कर्तव्य? राष्ट्र का सम्मान मतलब उसके नागरिकों का सम्मान? राष्ट्र की एकता माने उसके नागरिकों की एकता? मैं ठीक कह रहा हूं क्या?*

बच्चे : (कई आवाजें) *हां।*

मैं : *ठीक है। तो थोड़ा ये और बताओ कि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या-क्या हैं, हमारे?*

बच्चे : (कई)

- ☐ *राष्ट्र-ध्वज का सम्मान।*
- ☐ *सबसे समानता का व्यवहार।*
- ☐ *भेदभाव नहीं करना।*
- ☐ *समन्वय बनाना ...*

मैं : *ठीक है। तुमने मूल कर्तव्यों के बारे में सुना है क्या? बुनियादी कर्तव्यों के बारे में?*

बच्चे : (बहुत कम) *हां,* (ऊपर वाली बातें दोहराने लगे)

मैं : *ठीक है। एक और कर्तव्य है : वैज्ञानिक चिंतन का विकास और वैज्ञानिक तरीके से जांच करना। ये सुना है क्या?*

बच्चे : (सन्नाटा)

मैं : ठीक है। चलो तो मान लेते हैं कि राष्ट्र-धर्म का सम्मान करने का मतलब है:

☐ राष्ट्र के लोगों का सम्मान
☐ लोगों में समन्वय बनाना
☐ सब को समान समझना
☐ भेदभाव नहीं करना
☐ जरूरत हो तो मदद करना

बच्चे : (कई) हां।

(अब मैंने बोर्ड पर ''संस्कृति'' लिखा।)

मैं : अच्छा, इन्होंने बताया था कि प्रेरणादायक चर्चाओं में स्वामी विवेकानंद अपनी संस्कृति के सम्मान की भी सीख देते हैं। यह ''संस्कृति'' क्या होती है?

बच्चे : (कई आवाजें)

☐ भाषा
☐ साहित्य
☐ खान-पान
☐ वेश-भूषा
☐ रीति-रिवाज
☐ रहन-सहन
☐ ...

मैं : अरे वाह, तो ये सब संस्कृति होती है। ठीक है।

तो बताओ हमारी संस्कृति में ये चीजें हैं क्या :

☐ जाति-पांति?
☐ छुआ-छूत?
☐ औरतों के कम हक?

बच्चे : (कई) हां हैं।

मैं : और विवेकानंद कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। तो मतलब यह है कि हमें जाति-पांति, छुआ-छूत और औरतों को कम मानना चाहिए, अपनी संस्कृति का सम्मान करने के लिए?

बच्चे : (सन्नाटा)

मैं : और विवेकानंद जी यह भी कहते हैं कि राष्ट्र-धर्म का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्र-धर्म का सम्मान माने उसके नागरिकों का सम्मान, उनको बराबर मानना, भेदभाव न करना, यही आप लोगों ने बताया। तो दोनों चीजें कैसे करें? छुआ-छूत, जाति-पांति, औरतों को कम भी मानें और उनको बराबर भी मानें, भेदभाव न करें? ये तो विवेकानंद जी से पूछना पड़ेगा? क्या करें?

बच्चे : (कुछ देर सन्नाटा। तब एक आवाज आई...) संस्कृति समय के साथ बदलती है।

मैं : अच्छा, सब मानते हैं क्या कि संस्कृति समय के साथ बदलती है?

बच्चे : (कई आवाजें) हां, बदलती है।

मैं : *ठीक है, तो राष्ट्र-धर्म का सम्मान करने के लिए संस्कृति से जाति-पांति, छुआ-छूत और औरतों को कम हक की बातें हटानी पड़ेंगी। ये ठीक है?*

बच्चे : (कई आवाजें) *हां।*

मैं : *तो मान लें कि राष्ट्र-धर्म और संस्कृति में विरोध हो, टकराव हो, तो संस्कृति को राष्ट्र-धर्म के अनुसार बदल लेना चाहिए?*

बच्चे : (कई) *हां।*

मैं : *तुम सब मानते हो क्या यह? सब संस्कृति को राष्ट्र-धर्म के अनुसार बदलने को तैयार हो क्या? छुआ-छूत नहीं मानते? औरतों को बराबर मानते हो? सब का बराबर सम्मान करते हो?*

बच्चे : (करीब-करीब सभी) *हां।*

मैं : (मुस्कुराते हुए) *तुम स्पीडोमीटर जानते हो? जो मोटरसाइकिल और गाड़ियों में लगा रहता है।*

बच्चे : (हैरत के साथ) *हां।*

मैं : *उसमें स्पीड बढ़ाते हैं तो सुई घूमती है ना?* (मैंने अपनी उंगली को घुमा कर दिखाया और फिर उसे बोर्ड पर बनाया।)

बच्चे : *हां।*

मैं : (मुस्कान के साथ) *मेरे दिमाग में एक 'झूठो-मीटर' यानी झूठ का मीटर लगा हुआ है। उसकी सुई झूठ बोलने पर ऐसे ही घूमती है। जब तुम सब ने सब को समान मानने की बात कही, सब के रीति-रिवाजों को सम्मान देने की बात कही और कहा कि तुम ऐसा करने को तैयार हो तो वह सुई बहुत घूम गई।*

बच्चे : (दबी हुई हंसी, मुस्कान के साथ कुछ बोले) *नहीं।*

मैं : *सुई तो घूमी। मेरा झूठो-मीटर गलत है या आप लोगों की बात?*

बच्चे : (कइयों की जोरदार हंसी) *आप का झूठो-मीटर गलत है।*

मैं : *ठीक है। मान लेते हैं।*

मैं : (कुछ पल सोचने व कुछ वक्त कक्षा में इधर-उधर टहलने के बाद) *ठीक है। मान लो कि मैं अपने घर में एक पार्टी देना चाहता हूं और उसमें कुछ दोस्तों को बुलाता हूं। मैं पार्टी में बीफ परोसना चाहता हूं। तुम बीफ जानते हो क्या? क्या होती है, बीफ?*

एक बच्चा: *हां।*

दूसरा बच्चा: *गौ-मांस।*

मैं : *हां तो मैं गौ-मांस भी परोसना चाहता हूं। कुछ लोगों को पता चल गया। वे मुझे मारने आ रहे हैं। तुम लोगों को भी पता चल गया। तुम क्या करोगे?*

बच्चे : (सन्नाटा) (एक धीमी व आधे मजाक में आई आवाज) *मारेंगे।* (समवेत हंसी)

मैं : (मुस्कुरा कर) *बताओ, तुम क्या करोगे? लगता है, एक ने तो सच बोला है।*

बच्चे : (सन्नाटा।)

मैं : *तुम मुझे ये गौ-मांस वाली पार्टी करने दोगे या नहीं।*

बच्चे : (बहुमत) *नहीं।*

मैं : *क्यों? तुम तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हो, तुमने नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा ही होगा। भारत के सब नागरिकों को अपने खान-पान, रीति-रिवाज और विश्वास की आजादी का मूल अधिकार है। तुम मेरा मूल अधिकार क्यों छीनना चाहते हो?*

बच्चा : *किसी धर्म में नहीं लिखा कि गौ-मांस खाना चाहिए।*

मैं जानता था कि कुरान इसकी सिफारिश करती है : ''और याद रखना जब मोजेज ने अपने लोगों से कहा : 'अल्लाह आपको गाय को मारने का आदेश देते हैं' उन्होंने कहा, 'दोस्त दॉउ मेक ए जेस्ट ऑफ अस?'' उसने कहा,' मैं अज्ञानियों में से एक होने की वजह से अल्लाह की शरण लेता हूं'। (2 : 68, पवित्र कुरान, मौलवी शेर अली द्वारा अनुदित, इस्लाम इंटरनेशनल पब्लिकेशन लिमिटेड, 2004)। लेकिन मैं यह बात समझाना चाहता था कि इस तरह की दलील कबूल नहीं की जा सकती, इसलिए मैंने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, इस पर बात करने के बजाय दूसरा रास्ता अख्तियार किया।

मैं : *किसी धर्म में तो ये भी नहीं लिखा कि मूंग की दाल खानी चाहिए। तो क्या ये भी न खाने दें?*

बच्चे : (सन्नाटा)

मैं : *सवाल ये नहीं है कि किसी धर्म में लिखा है या नहीं। सवाल यह है कि कुछ लोग खाना चाहते हैं। तो समानता और स्वतंत्रता के नाते उन को हक है या नहीं?*

दूसरे बच्चे : *गौ-वध की कानून में मनाही है। तो आप गैर-कानूनी काम कर रहे हैं।*

यहां पर मेरे सामने दो रास्ते : थे : या तो मैं यह बात करता कि अगर यह कानून के खिलाफ है तो भी कानून की पालना करवाने का जिम्मा किसका है? भीड़ का या राज्य/पुलिस का? अगर आपको लगता है कि यह काम गैर-कानूनी है तो आप पुलिस में शिकायत करिए, मुझ पर हमला क्यों करते हैं? लेकिन फिर से मैंने दूसरा रास्ता चुना।

मैं : *गौ-वध अधिकतर राज्यों में मना है, लेकिन सब राज्यों में नहीं। जैसे राजस्थान में मना है पर मिजोरम में नहीं। और मैं ''गौ-वध'' नहीं कर रहा, गौ-मांस खाना कहीं भी मना या गैर-कानूनी नहीं है। राजस्थान में भी मना नहीं है। तो मान लो मैं गौ-मांस मिजोरम से लाया हूं या अमेरिका से लाया हूं, सिर्फ पार्टी यहां दे रहा हूं। गौ-वध यहां नहीं कर रहा।*

बच्चे : (कसमसाहट, लेकिन सन्नाटा) (एक आवाज) *आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते।*

मैं : *मैं अपने घर में पार्टी दे रहा हूं। किसी को खाना खाने के लिए नहीं कह रहा, किसी के घर नहीं जा रहा। भावनाएं कैसे आहत हुईं। मैं कुछ खाना खाता हूं या नहीं खाता हूं, इससे?*

एक बच्चा: *आप लोगों को न्यौता दे रहे हैं।*

मैं : *उनको बुला रहा हूं, जो खाते हैं या मैं समझता हूं कि खाते हैं। नहीं आना चाहते मेरी पार्टी में, तो मना कर दो। मारते क्यों हो? मुझे रोकते क्यों हो?*

बच्चे : (फिर चुप)

इस पूरी बात में काफी वक्त लग गया था, इसलिए इस बात को समेकित करते हुए मैंने आगे की बात कही।

मैं : *अभी भारत में एक बड़ी रस्सा-कस्सी चल रही है। एक तरफ कुछ लोगों के विचार से हिंदू संस्कृति है, एक तरफ कुछ और लोगों के विचार से मुस्लिम पर्सनल लॉ है और एक तरफ भारतीय संविधान है, जिसे आज तुम लोगों ने राष्ट्र-धर्म कहा है। ये रस्सा-कस्सी हम लोगों ने शुरू की है यानी हम लोगों की पीढ़ी वालों ने। दस बरसों में तुम सब बड़े हो जाओगे, कई महत्वपूर्ण निर्णय कर रहे होगे। दस बरस में ये रस्सा-कस्सी खत्म नहीं होगी। तुम लोगों को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इस तिकड़ी पर सोचना।*

*मैंने बोर्ड पर एक तिकोन बनाया, जिसके एक कोने पर ''कथित हिंदू संस्कृति'', दूसरे कोने पर ''कथित मुस्लिम पर्सनल लॉ'' और तीसरे कोने पर ''राष्ट्र-धर्म/संविधान'' को रखा।*

मैं : *अच्छा मैंने बहुत सवाल पूछ लिए। अब तुम कुछ पूछना चाहते हो?*

एक बच्चा: *आप कहां रहते हैं?*

मैं : *महीने में एक सप्ताह जयपुर और तीन सप्ताह बेंगलुरू।*

दूसरा बच्चा: *मौसम जयपुर का अच्छा है या बैंगलुरू का?*

मैं : *लोग कहते हैं कि बेंगलुरू का अच्छा है, वहां सर्दी-गर्मी का कष्ट नहीं होता, मौसम कुछ बीच का सा रहता है। पर मैं तो राजस्थानी हूं। मुझे तो वहां की सर्दी-गर्मी की भी याद आती है।*

दूसरा बच्चा : *आप क्या पढ़ाते हैं?*

मैं : *मैंने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सभी विषय पढ़ाए हैं। पर आजकल विश्वविद्यालय में शिक्षा-दर्शन पढ़ाता हूं।*

दूसरा बच्चा: *हां, मुझे कुछ ऐसा ही लगा था?*

मैं : *मतलब? क्या लगा था?*

बच्चे : *कि ऐसी बातें दार्शनिक ही करते हैं।*

मैं : (मुस्कान के साथ) *मतलब फालतू बातें दार्शनिक ही करते हैं?*

बच्चे : (सभी के चेहरों पर मुस्कान) (वही बच्चे) *नहीं, इतने सारे सवाल।*

मैं : (मुस्कुराते हुए) *अच्छा, अभी मुझे जाना है। तुम लोगों ने शुरू में सोचा होगा कि चलो आज पढ़ाई से छुट्टी मिली, कुछ देर तक, वो भी अब बोर हो गए होंगे।*

बच्चे : (मुस्कुराते हुए, कुछ की दबी हंसी के साथ) (कई आवाजें) *नहीं, बोर नहीं हुए।*

मैं : *नमस्ते! धन्यवाद!*

बच्चे : (खड़े हो कर) (कई आवाजें) *धन्यवाद!*

इस संवाद ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए। ऐसा लगा कि बच्चे बराबरी, न्याय, सभी के लिए सम्मान आदि की संवैधानिक भावना को आम तौर पर समझते हैं। उनको इस बात का भी अंदाजा है कि संस्कृति को आलोचनात्मक नजरिए से देखने व उसमें बदलाव करने की जरूरत होती है। और जब संविधान और तथाकथित संस्कृति में टकराव होता है तो संस्कृति के गैर-सवैधानिक हिस्से को उससे अलग करना पड़ता है। लेकिन जब भी ऐसा कोई खास विश्वास या मुद्दा उनके सामने आता है, जो उनकी जिंदगी से सीधा-सीधा जुड़ा हुआ हो तो संविधान में उनका विश्वास थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और वे बराबरी, न्याय आदि, संवैधानिक मूल्यों की व्याख्या अपनी विश्वास प्रणाली के हिसाब से करना चाहते हैं। इस समस्या का समाधान सिर्फ किताबें पढ़ कर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक चीज यह की जा सकती है कि ऊपर बताए तरीके से संवाद या बातचीत की जाए।

लेकिन ऐसे संवाद किसको करने चाहिए? कहां? कब? अगर यह माना जाए कि अध्यापक इस तरह के संवाद करेंगे तो उन्हें किस तरह की तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी? ◆

**लेखक परिचय :** अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं अकादमिक विकास के निदेशक हैं और दिगन्तर, जयपुर के संस्थापक सदस्य व सचिव हैं।

**संपर्क :** rohit.dhankar@apu.edu.in